



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक :24/01/2025

To,

1. श्री संदीप सिंह,

प्रशासक,  
रांची नगर निगम,  
कचहरी रोड,  
रांची-834001, झारखण्ड  
ई:मेल- support@ranchimunicipal.com

विषय: भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्जा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-26, जिला – रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।  
संदर्भ: एनसीएसटी पत्र दिनांक 14.10.2024 के साथ मामले में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **31.01.2025 को 11:00 A.M** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री संदीप उराँव,

ग्राम – हरमू, टोंगरी टोली,  
जतरा मैदान के पास,  
थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं-26,  
जिला – रांची, झारखण्ड-834002  
फोन नं. 6203640664

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)  
NIC for uploading